भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2031

उत्तर देने की तारीख- 30/07/2026

पीएम-जनमन की स्थिति

†2031. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) को लागू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों तथा प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा राज्य में पीवीटीजी बस्तियों का जिला-वार एवं विकासखंड-वार ब्यौरा तथा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत पात्र एवं शामिल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के प्रारंभ होने से अब तक ओडिशा को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता सहित राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत आवंटित, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत ओडिशा में पीवीटीजी के लिए निर्मित आवासों, सड़कों, पेयजल सुविधाओं, मोबाइल संपर्क, छात्रावासों तथा अन्य अवसंरचना सहित प्राप्त भौतिक उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार का राज्य के सभी पात्र पीवीटीजी बस्तियों को उक्त योजना के अंतर्गत शामिल करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क), (ख) और (ङ): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में निवास करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु 15 नवंबर, 2023 को प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क एवं दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और सतत आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित 11 उपायों के माध्यम से की जा रही है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बस्ती-स्तरीय डेटा संग्रह करने का काम किया है, जिसका उद्देश्य पीएम-जनमन के अंतर्गत शामिल गाँवों एवं बस्तियों में निवास करने वाली पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों और अवसंरचना अंतरों का आकलन करना है। संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर ओडिशा राज्य में पीवीटीजी जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**पीवीटीजी आवास**	**पीवीटीजी जनसंख्या**
1	ओडिशा	73092	312654

अभियान के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले वास्तविक लाभार्थियों की संख्या संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों की पात्रता मानदंडों के अधीन है, जो अनुमोदित मानकों के अनुसार है।

(ग): अभियान के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों की वित्त वर्ष 2025-26 तक की वित्तीय प्रगति का विवरण ओडिशा राज्य के संदर्भ में निम्नानुसार है:

(i) बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)

(रुपये करोड़ में)

स्वीकृत निधियां	**2023-24 के दौरान जारी निधियां**	**प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र**	**2024-25 के दौरान जारी निधियां**	**प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र**	**2025-26 के दौरान जारी निधियां**	**प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र**	**2025-26 में बंद किए गए बिल (एसएनए स्पर्श)**
44.4	12.68	12.68	23.92	21.71	0	0	1.92

(ii) वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) (रुपये लाख में)

वित्त वर्ष **2023-24**		वित्त वर्ष **2024-25**		वित्त वर्ष **2025-26**	
स्वीकृत निधियां	जारी निधियां	स्वीकृत निधियां	जारी निधियां	स्वीकृत निधियां	जारी निधियां
178.4	88.91	0	0	84.55	42.27

मंत्रालय में जिले-वार आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए उपयोग की गई निधियों का अभिलेख संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।

(घ): पीएम-जनमन के अंतर्गत दिनांक 30.06.2026 तक ओडिशा में जिले-वार प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक - I

पीएम-जनमन के अंतर्गत उपायों की प्रगति का ओडिशा में जिले-वार ब्यौरा (दिनांक 30.06.2026 तक)*

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		जल शक्ति मंत्रालय		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	शिक्षा मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान (डीओएसईएल)		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
		स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	स्वीकृत सड़क (किमी. में)	पूर्ण सड़क (किमी. में)	स्वीकृत गांवों की संख्या	संतृप्त गांवों की संख्या	स्वीकृत एवं क्रियाशील एमएमयू	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	पूर्ण (संख्या)	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
1	अनुगुल	775	758	0	0	42	20	1	0	0	4	4
2	देवगढ़	925	894	24.670	22	35	34	1	5	0	2	2
3	ढेंकनाल	2751	2675	0	0	86	38	7	6	0	3	3
4	गजपति	4400	3460	38.050	33	138	13	5	3	0	11	11
5	गंजम	342	168	46.871	11	71	24	1	2	0	2	2
6	जाजापुर	71	67	0	0	6	6	1	0	0	6	6
7	कालाहांडी	6130	4452	19.750	0	222	95	2	8	0	15	15
8	कंधमाल	1246	831	9.200	3	66	40	3	8	0	1	1
9	केंदुझर	10161	8897	6.430	0	221	198	8	6	0	14	14
10	मल्कानगिरी	3050	1431	9.500	1	87	10	11	16	0	0	0
11	मयूरभंज	1892	1426	10.800	6	61	28	24	2	0	4	4
12	नुआपाड़ा	517	364	0	0	29	29	2	2	0	2	2
13	रायगढ़	7701	6850	42.170	34	107	60	5	15	0	24	24
14	सुंदरगढ़	1138	896	3.700	3	25	20	1	3	0	1	1

क्र.सं.	जिले का नाम	दूरसंचार विभाग (डीओटी)		विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)		जनजातीय कार्य मंत्रालय			
		कवर करने हेतु स्वीकृत पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	कवर की गई पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	पूर्ण बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)	व्यवसाय प्रारंभ करने वाले वीडीवीके की सं.
1	अनुगुल	21	13	395	353	0	0	4	4	2	2
2	देवगढ़	5	3	213	213	0	0	1	1	3	2
3	ढेंकनाल	6	3	128	118	0	0	1	0	0	0
4	गजपति	56	37	351	351	0	0	8	8	6	6
5	गंजम	49	22	176	176	0	0	5	4	3	3
6	जाजापुर	11	9	83	71	0	0	1	1	0	0
7	कालाहांडी	81	58	186	186	0	0	15	15	4	3
8	कंधमाल	39	21	350	256	0	0	11	7	6	2
9	केंदुझर	36	13	507	507	0	0	4	4	2	2
10	मल्कानगिरी	38	25	232	232	0	0	3	1	5	5
11	मयूरभंज	5	3	814	814	0	0	1	1	18	7
12	नुआपाड़ा	10	7	188	188	0	0	1	0	2	2
13	रायगढ़	127	89	1713	1274	0	0	18	13	13	13
14	सुंदरगढ़	27	17	402	402	0	0	1	1	2	2

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार।
